राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3496/2024

रेशमा राव –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनूं।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कासनी, ब्लॉक सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं।
5. मोनिका रोसावन, सहायक अध्यापक विषय अंग्रेजी, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कासनी, ब्लॉक सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.12.2024
आदेश की दिनांक : 03.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री संजीव सिंघल/सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 23.10.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दे रहा है जिसके द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया गया, जिसमें अपीलार्थी को संविदा कर्मचारी के चयन के कारण अधिशेष बनाया गया, जिसमें अपीलार्थी को नाम क्रम संख्या 1 पर रखा गया था। एक संविदा कर्मचारी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अनुचित लाभ देने के लिए अपीलार्थी को अवैध रूप से अधिशेष घोषित किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आलौच्य आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा सहायक अध्यापकों (संविदा शिक्षकों) को, अपीलार्थी जो नियमित कर्मचारी है, की तरह अधिशेष घोषित करके उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। अपीलार्थी को वर्ष 2018 में सीधी भर्ती के तहत अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 अंग्रेजी के पद पर नियुक्त किया गया था और अपीलार्थी वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कासनी, सूरजगढ़, झुंझुनू में अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 अंग्रेजी के पद

पर कार्यरत है। कार्यभार ग्रहण आदेश की प्रति अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी संख्या 5 को भी आदेश दिनांक 28.07.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कासनी, सूरजगढ़, झुंझुनू में एक वर्ष की अवधि अर्थात 27.07.2024 तक अनुबंध के आधार पर सहायक अध्यापक लेवल 2 अंग्रेजी के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 5 की सेवाएं अनुबंध की अवधि पूरी होने के बाद बढ़ा दी गई थी, जो 27.07.2024 को पूरी हो गई थी। प्रत्यर्थी विभाग रिक्त पद की उपलब्धता के बिना प्रत्यर्थी संख्या 5 को अवैध समायोजन के माध्यम से अपीलार्थी के स्थान पर समायोजित किया गया है क्योंकि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कासनी, ब्लॉक सूरजगढ़, जिला झुंझुनू में अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 अंग्रेजी का केवल एक पद स्वीकृत है, जहां अपीलार्थी पहले से ही कार्य कर रही है। सहायक अध्यापकों को केवल एक वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी को नियमित पद से नियमित वेतन मिल रहा है क्योंकि वह स्वीकृत पद पर कार्य कर रही है और वह अधिशेष कर्मचारी नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 08.10.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने नियमित उम्मीदवारों को अधिशेष घोषित करके कार्यव्यवस्था के आधार पर सहायक शिक्षकों (संविदा शिक्षकों) को पदस्थापित के निर्देश जारी किए थे और इस मामले में भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई गई थी।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.10.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि वह अधिशेष कार्मिकों के संबंध में आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा जारी निर्देशों की आड़ में अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से परिवर्तन न करें। साथ ही अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कासनी, ब्लॉक सूरजगढ़, जिला झुंझुनू में अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 अंग्रेजी के पद पर नियमित वेतन और अन्य पारिणामिक लाभ दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी कार्मिक द्वारा अध्यापक भर्ती–2005 के तहत दिनांक 05.03.2005 को उक्त विद्यालय में कार्यग्रहण किया था तथा अपीलार्थी वर्ष 2005 से लगातार उक्त विद्यालय में कार्यरत है। अपीलार्थी के कार्यग्रहण के समय उक्त विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर संचालित था तथा कालांतर में राज्य सरकार के आदेशानुसार विद्यालय को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में क्रमोन्नत किया गया है। महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा The Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of Personnel in the

English Medium Schools) Rules, 2023. निर्धारित किये गये है। उक्त नियमों के अनुसार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में पदस्थापित किये जाने वाले शिक्षक चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयन उपरांत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में पदस्थापित किये जायेंगें, **अपीलार्थी कार्मिक पूर्व में उक्त विद्यालय में कार्यरत है तथा महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय हेतु चयन प्रकिया से चयनित भी नहीं है ऐसी स्थिति में नियमों के अनुसरण में उक्त विद्यालय में अपीलार्थी का पदाधिकार नहीं है।** राज्य सरकार के आदेशानुसार महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों में आवश्यकता के दृष्टिगत संविदा के आधार पर 10000 संविदा कार्मिकों को लगाये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप प्रत्यर्थी विभाग द्वारा महात्मा गांधी विद्यालयों में 10000 संविदा कार्मिकों को चयनित करते हुए पदस्थापित किया गया। उक्त समस्त संविदा कार्मिक चयन प्रक्रिया के आधार पर विशेषतः अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अध्ययन–अध्यापन करवाये जाने हेतु ही चयनित किये गये है जबकि अपीलार्थी कार्मिक उक्त विद्यालय में अध्ययन–अध्यापन करवाने की पात्रता धारित नहीं करती है। अपीलार्थी कार्मिक पूर्व में उक्त विद्यालय में कार्यरत है तथा महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय हेतु चयन प्रकिया से चयनित भी नहीं है ऐसी स्थिति में नियमों के अनुसरण में उक्त विद्यालय में अपीलार्थी का पदाधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने प्रत्यर्थी विभाग एवं अपीलार्थी को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को संविदा कर्मचारी के चयन के कारण अनुलग्नक–1 द्वारा अधिशेष घोषित किया गया। अपीलार्थी द्वारा अधिशेष कार्मिकों के संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा जारी निर्देशों की आड़ में अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से परिवर्तन न करने तथा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कासनी, ब्लॉक सूरजगढ़, जिला झुंझुनू में अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 अंग्रेजी के पद पर नियमित वेतन दिए जाने का अनुतोष है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट भी है कि अपीलार्थी का चयन विधिवत प्रक्रिया से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय में नहीं हुआ है। इस विद्यालय को महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय घोषित करने से पहले से कार्य कर रही है। अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि उसे संविदा कर्मी की नियुक्ति किए जाने के आधार पर अधिशेष घोषित किया जा रहा है। हमारा यह विनम्र मत है कि प्रत्यर्थी विभाग को यह पूर्ण अधिकार है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में नियमों के अनुसार अध्यापकों का चयन कर पदस्थापित करे और यह भी अधिकार है कि पूर्व में

पदस्थापित अध्यापकों का अन्यत्र पदस्थापन प्रशासन दृष्टिगत किया जावे परन्तु संविदा कर्मचारी की नियुक्ति के आधार पर अपीलार्थी जो कि नियमित नियुक्त कर्मचारी है, को अधिशेष घोषित किया जाना नियम विरूद्ध है। क्योंकि एक संविदा कर्मचारी के नियुक्ति के आधार पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों को अधिशेष घोषित नहीं किया जा सकता है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 23.10.2024, जिसमें अपीलार्थी को संविदा कर्मी की नियुक्ति के आधार पर अधिशेष घोषित किया गया है, को अपास्त किया जाता है। स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग उक्त अधिशेष के आधार पर अपीलार्थी को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य